भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1744**

दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**आकाशवाणी में यौन उत्पीड़न की शिकायतें**

**1744. श्रीमती वानसुक साइम :**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आकाशवाणी के कैजुअल एनाउंसर्स एंड कंपेयर यूनियन ने विभिन्न आकाशवाणी स्टेशनों में अपने वरिष्ठ पुरुष अधिकारियों के विरुद्ध व्यापक यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले को उठाया था और यदि हां, तो क्या ‘प्रसार भारती’ ने पाप्‍त शिकायतों पर ‘की गई कार्रवाई’ के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग को रिपोर्ट सौंपी है और उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या वीमेन्स यूनियन ने ‘प्रसार भारती’ की कथित की गई कार्रवाई रिपोर्ट को भ्रामक और उन नैमित्तिक महिला कर्मचारियों के लिए अपमानजनक माना है, जो यौन उत्पीड़न की शिकार हैं; और

(ग) क्या ऐसे अनेक शिकायत कर्ताओं को उसके बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, यद्यपि उन्होंने आकाशवाणी में दो दशकों तक काम किया है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) : जी, हां। प्रसार भारती ने राष्‍ट्रीय महिला आयोग में अपने जांच-परिणाम प्रस्‍तुत कर दिए हैं।

(ख) : प्रसार भारती कार्यालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्‍त नहीं की गई है।

(ग) : जी, नहीं। ये आकस्‍मिक उदघोषक और वाचक आकाशवाणी/प्रसार भारती के कर्मचारी नहीं हैं। इन्‍हें प्रति संविदा/प्रति माह/ प्रति वर्ष बुकिंग की संख्‍या के आधार पर सीमित संख्‍या में संविदा आधार पर बुक किया जाता है। इसके अलावा, आकस्‍मिक उदघोषकों और वाचकों को पैनल में बने रहने के लिए अथवा अन्‍य प्रकार से अपने निष्‍पादन के लिए आवधिक समीक्षा प्रक्रिया से गुजरना होता है।

\*\*\*\*\*